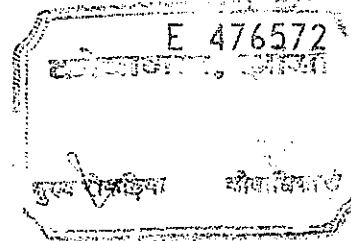




उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गुरु-कृपा



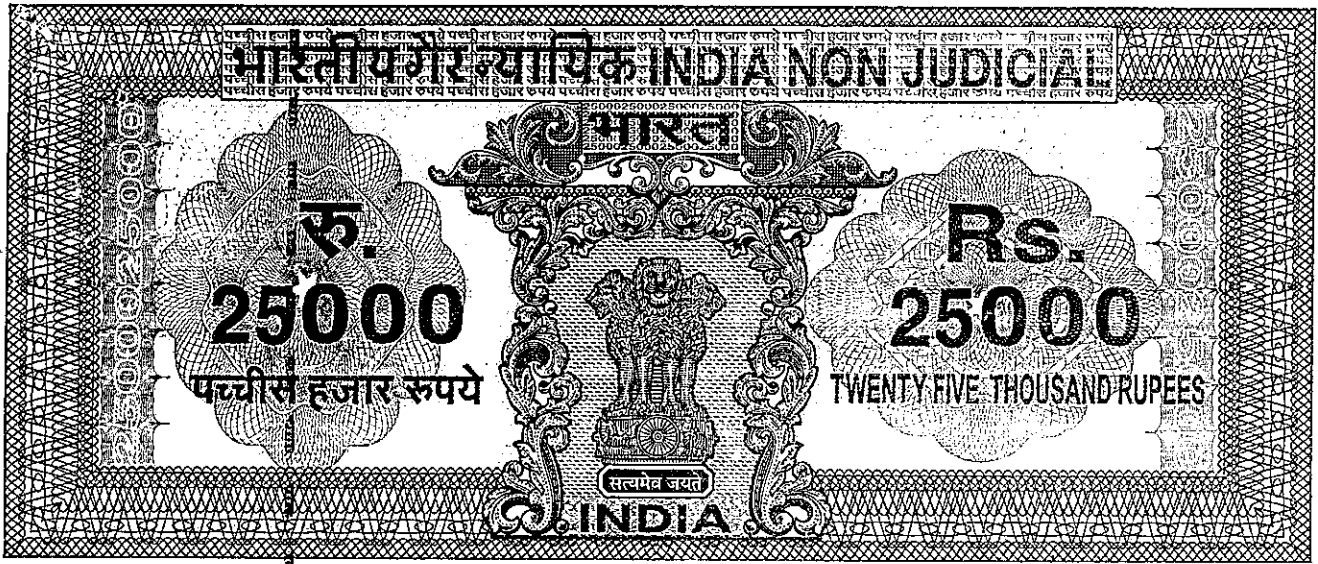
भूमि मूल्यांकन सूची दर - पेज सं० 115 वी-कोड 0334 में अंकित दर 60,00,000/-रु० प्रतिहेक्टेयर की दर से स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

स्टाम्प का योग - 4,91,000/-रु०

बाजार मालियत - 70,08,000/-रु० से अधिक नहीं है।

सुषमा सराणी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476573

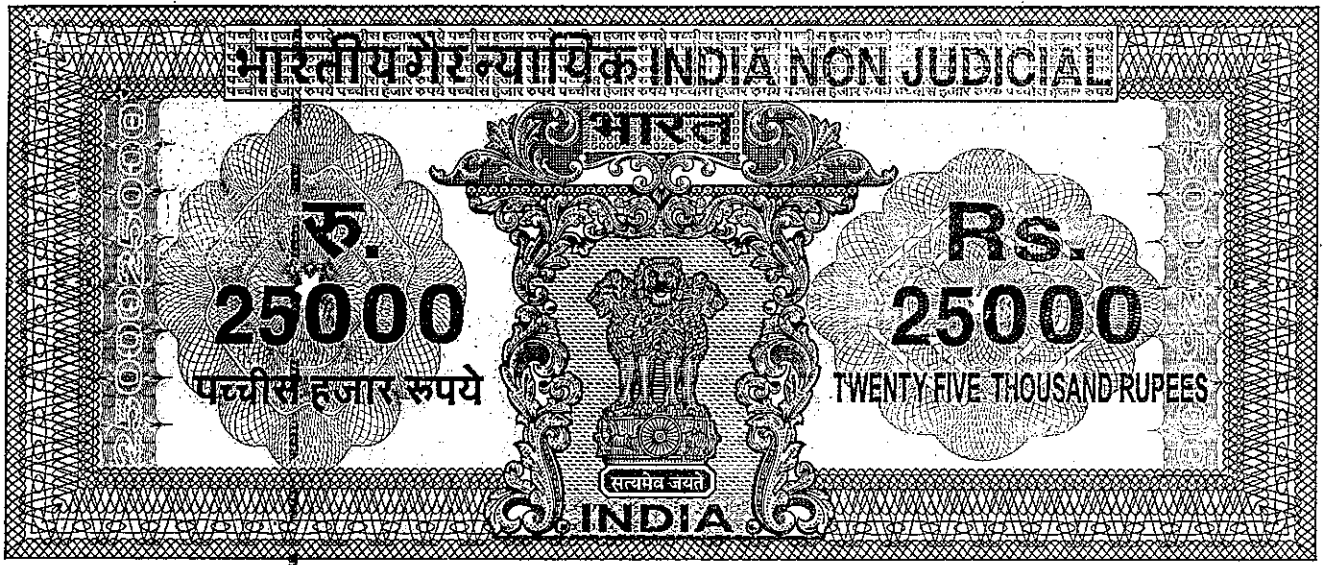
(2)

विक्रय मूल्य

- 70,08,000 /—रु० जिसमे 20,00,000 /—रु० जरिये
चैक सं० 248908 व 20,00,000 /—रु० जरिये
चैक सं० 248909 व 15,00,000 /—रु० जरिये
चैक सं० 248910 व 14,37,920 /—रु० जरिये
चैक सं० 248911 व 70,080 /—रु० जरिये
टी०डी०एस० के द्वारा अदा कर दिये गये है सभी
चैकें इण्डियन ओवरसीज बैंक शाखा कैण्ट सदर
बाजार झॉसी के द्वारा प्राप्त कर लिये है।

सुष्मा सराफ़ी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

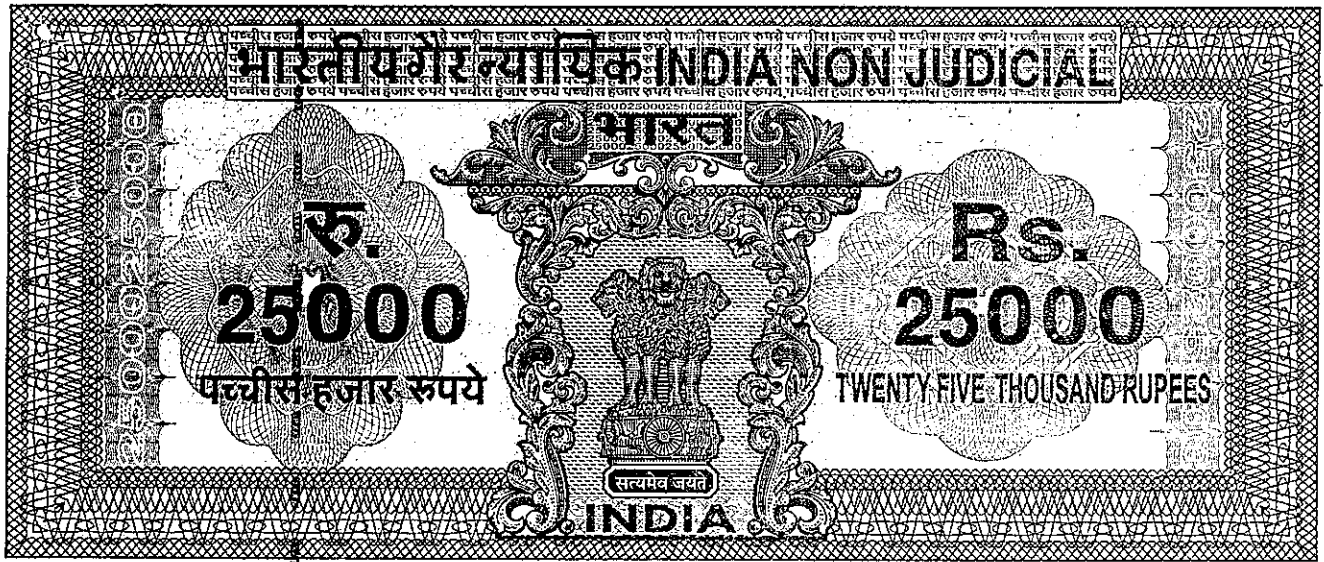
E 476574

(3)

दस्तावेज का प्रकार — बैनामा
मौजा — सिमरधा
ब्लाक — बड़ागाँव
सम्पत्ति का प्रकार — कृषिकीय

सुषमा सराफ़

Luchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476575

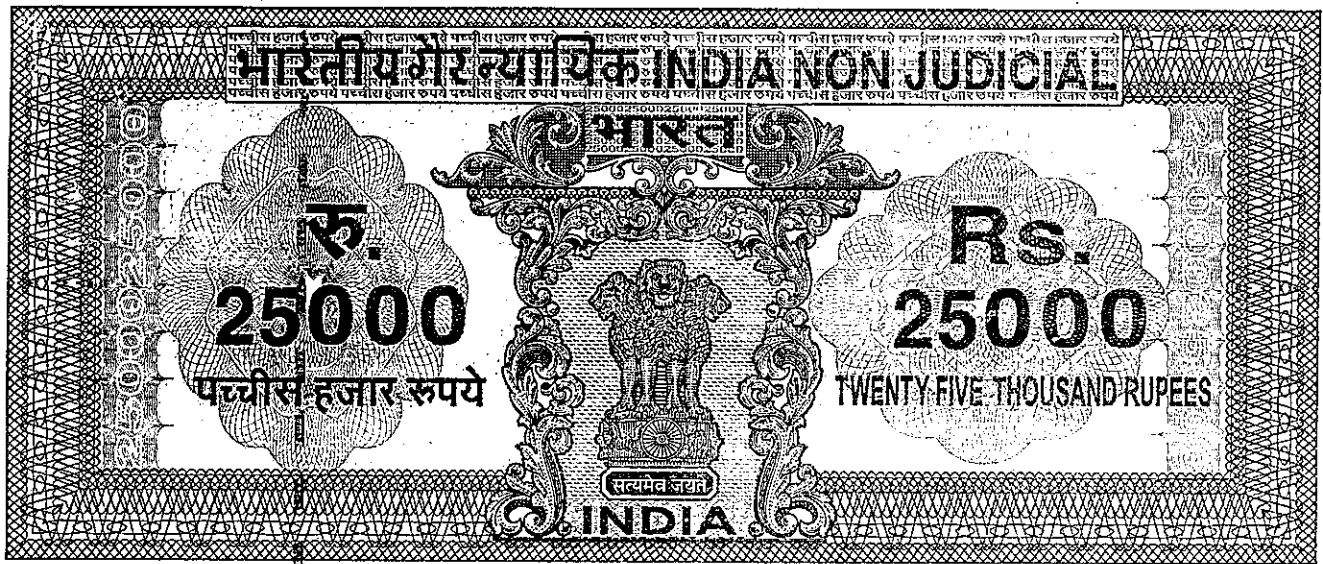
(4)

मापन की इकाई — हैक्टेयर

विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल — 1.163 हैक्टेयर

सुषमा शराणी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476576

(5)

सड़क की स्थिति

- उक्त आराजी किसी भी सर्वश्रेष्ठ मार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग से नहीं लगे है एवं आबादी से 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है। उक्त आराजी कृषिकीय भूमि है।

पेड़ों का मूल्यांकन

- कोई पेड़ नहीं है।

बोरिंग/कुआँ/अन्य

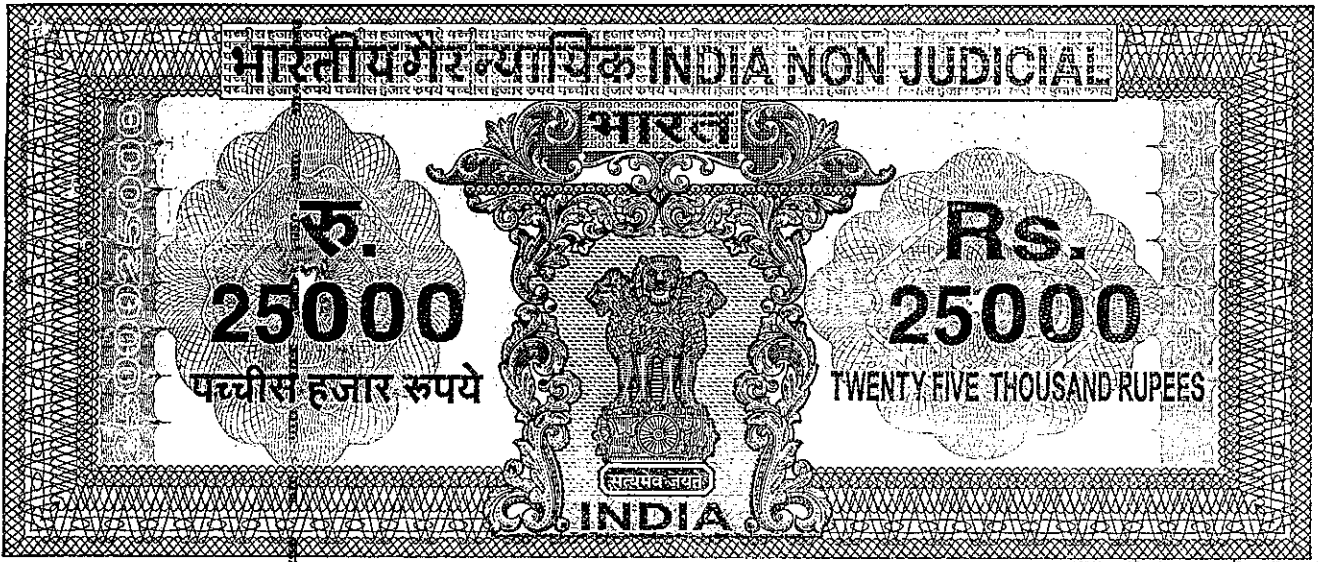
- एक पक्का कूप निर्मित है

सुषमा सरास्वी



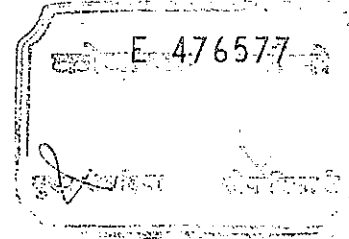
Ruchi





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)



प्रथम पक्ष की संख्या — एक

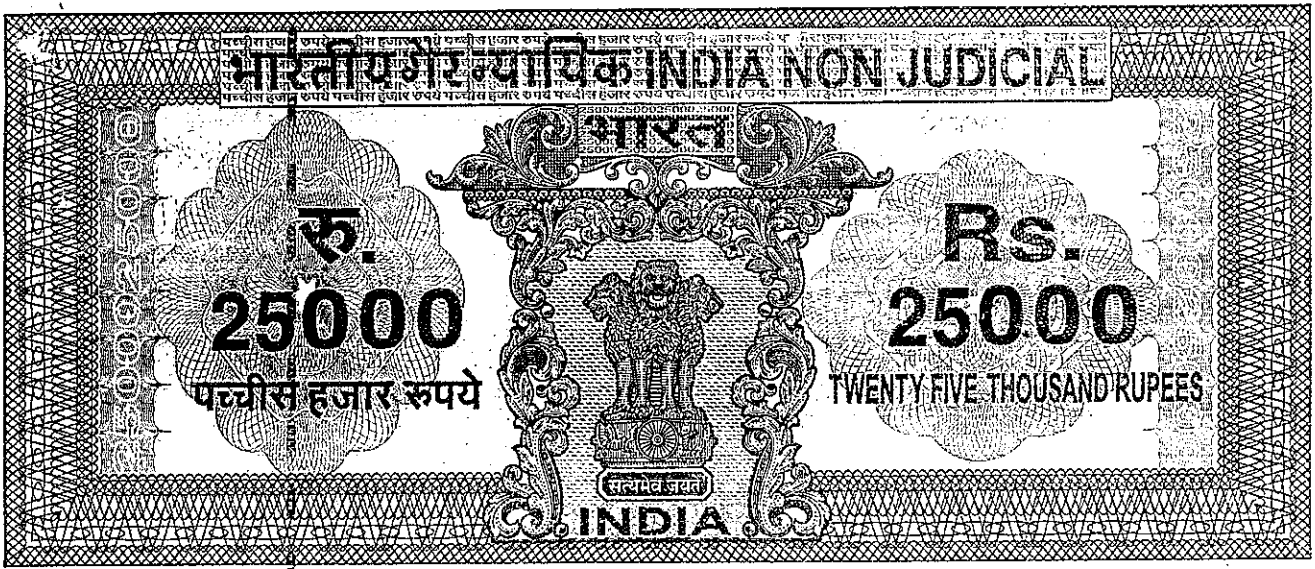
द्वितीय पक्ष की संख्या — एक

नाम व पता विक्रेता प्रथम पक्ष — श्रीमती सुषमा सरावगी पत्नी श्री विजय कुमार सरावगी निवासी— 1506—सी जानकीपुरम कॉलोनी, सिविल लाइन, एस0एस0पी0 बंगला के सामने, तहसील व जिला झांसी (जिनकी पहचान आधार कार्ड सं0 8241 0769 9303 से की गई है).

मो0 नं0

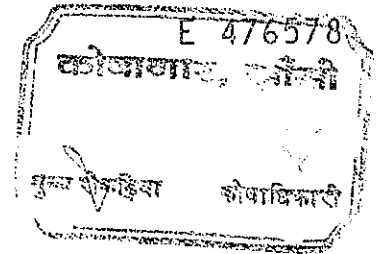
सुषमा सरावगी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

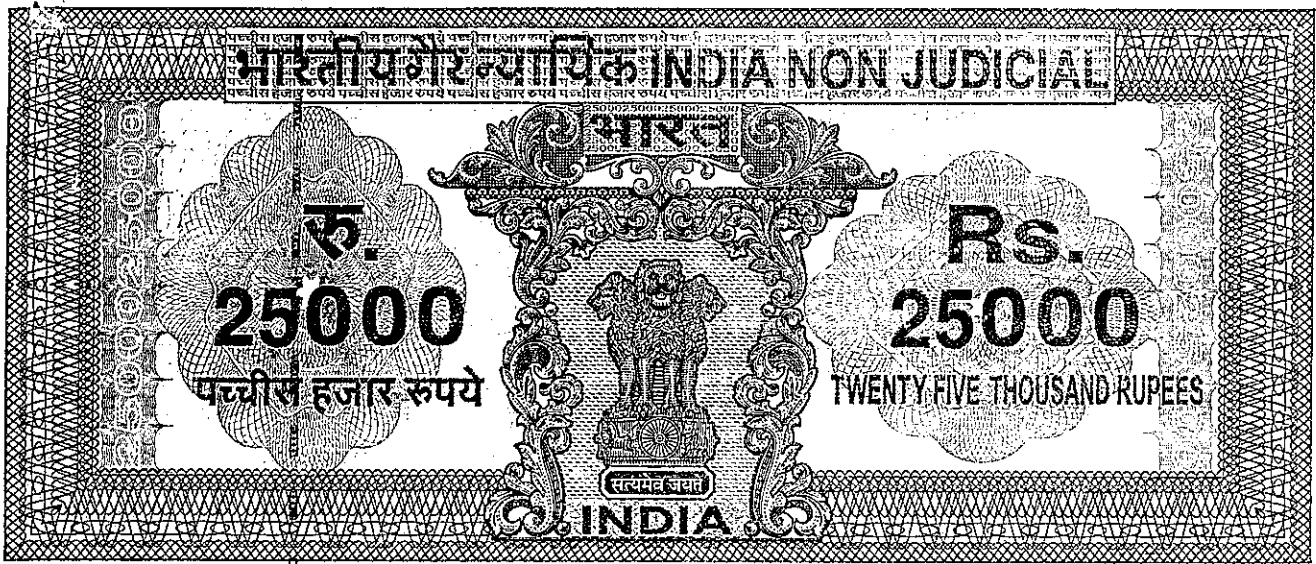


नाम व पता क्रेता द्वितीय पक्ष— शिवान्ता होम्स द्वारा पार्टनर: श्रीमती रुची गर्ग
पत्नी श्री मयंक गर्ग निवासी— 75, कैलेवरी रोड,
कैण्ट सदर बाजार, तहसील व जिला झांसी
(पहचान पंजाब नेशनल बैंक की पासबुक
खाता सं० 0709000104276817 से की गई

है) मो० नं०

रुचि सराफा

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476579

(8)

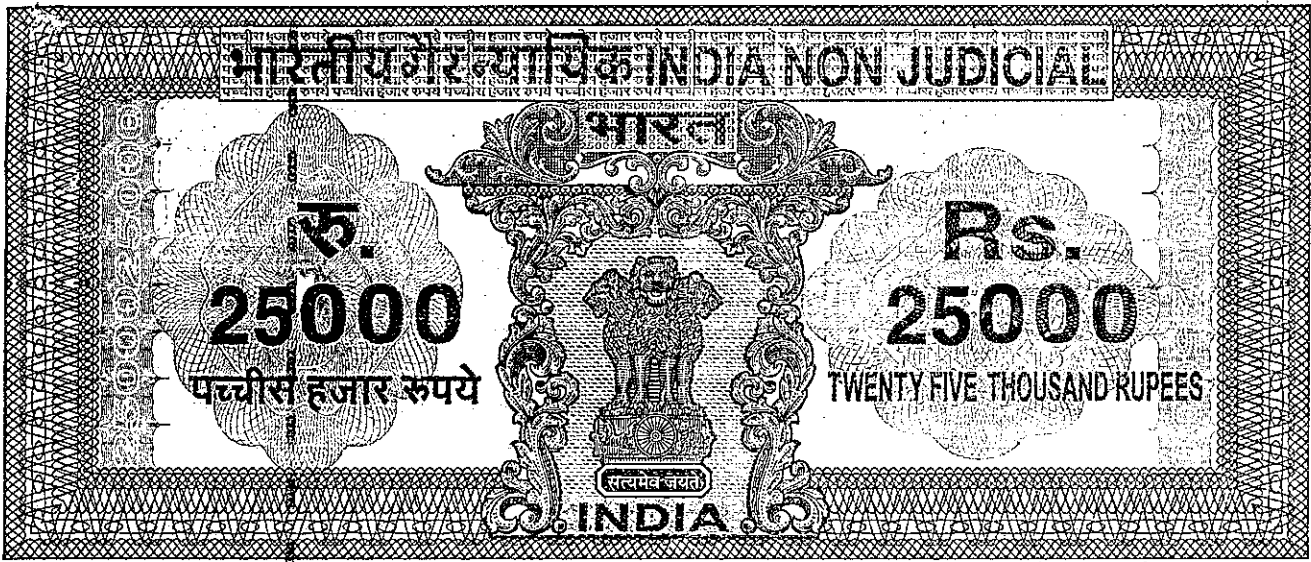
सम्पत्ति का विवरण — विक्रित आराजी वाकै मौजा सिमरधा ब्लाक बड़ागोंव तहसील व जिला झाँसी में स्थित है जिसका खाता सं० व आराजी नं० निम्न प्रकार है:-

खाता सं०	आराजी नं०	रकवा
00376	355	6.026 है०

कुल 1 किता रकवा 6.026 है० भूमि में से विक्रेता अपने 1/6 सम्पूर्ण अंश रकवा

सुषमा सराफ

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476580

(9)

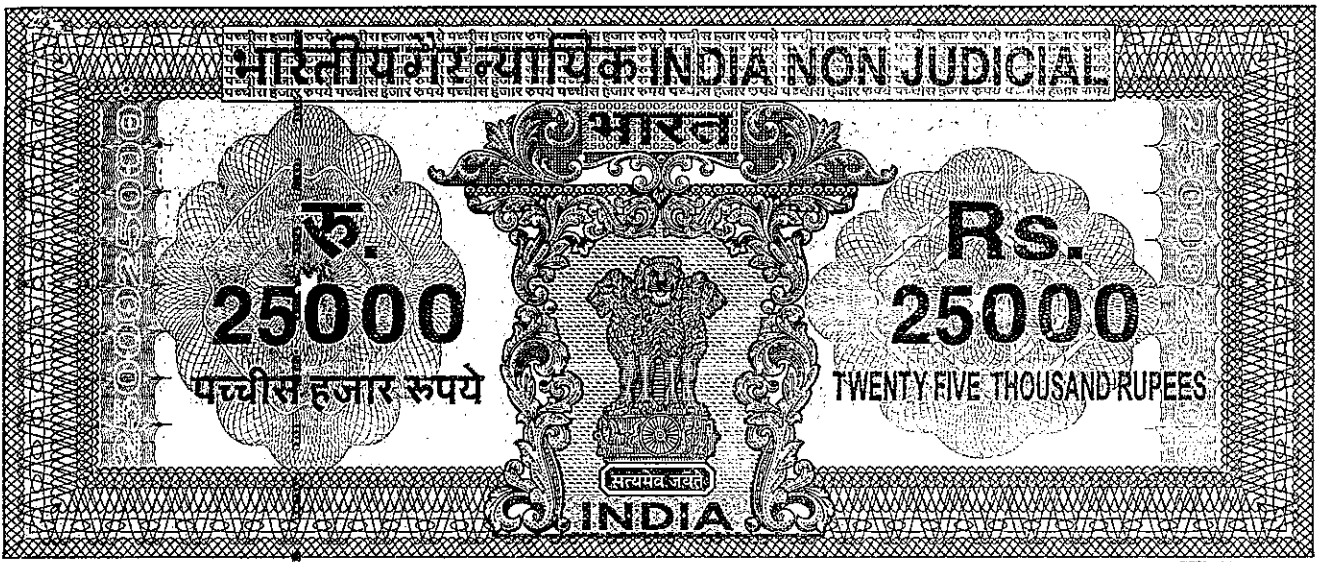
1.004 है० भूमि को वय कर रही है जिसकी मालियत 60,00,000 /—रु० प्रति है० की दर से 60,26,000 /—रु० से अधिक नहीं है व उपरोक्त आराजी में एक पक्का कूप निर्मित है जिसमें से 1/6 भाग वय किया जा रहा है जिसके वयशुदा हिस्से की मालियत 27,000 /—रु० से अधिक नहीं है। उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकवे का लगान 14 रूपया 80 पैसा सालाना है व

खाता नं०	आराजी नं०	रकवा
00404	354	0.955 है०

कुल 1 किता रकवा 0.955 है० भूमि में से विक्रेता अपने 1/6 सम्पूर्ण अंश रकवा

सुषमा खरागी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E-476581

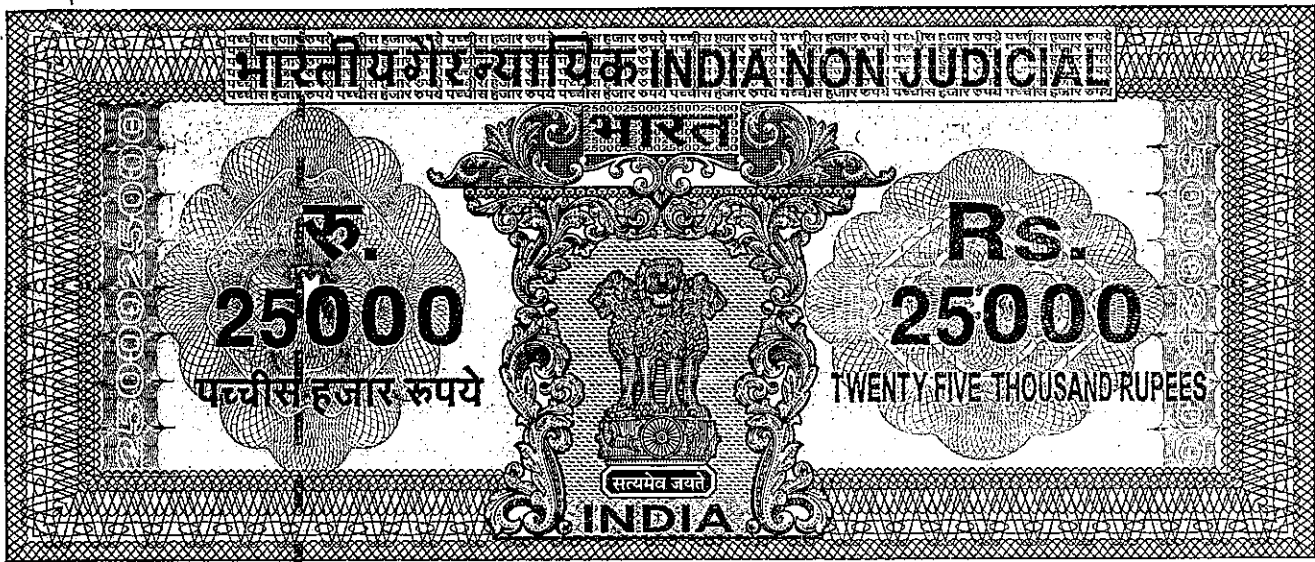
(10)

0.159 है० भूमि को वस कर रही है जिसकी मालियत 60,00,000/-रु० प्रति है० की दर से 9,55,000/-रु० से अधिक नहीं है उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकवे का लगान 1 रुपया 70 पैसा से लाना है।

उक्त बैनामा में रजिस्ट्री खर्च मय स्टाम्प फीस के विक्रेता द्वारा वहन किया जा रहा है।

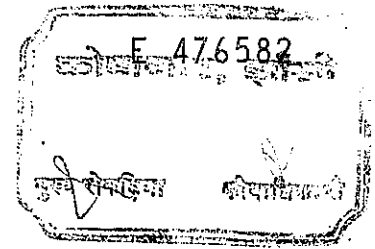
सुषमा सरागी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(11)



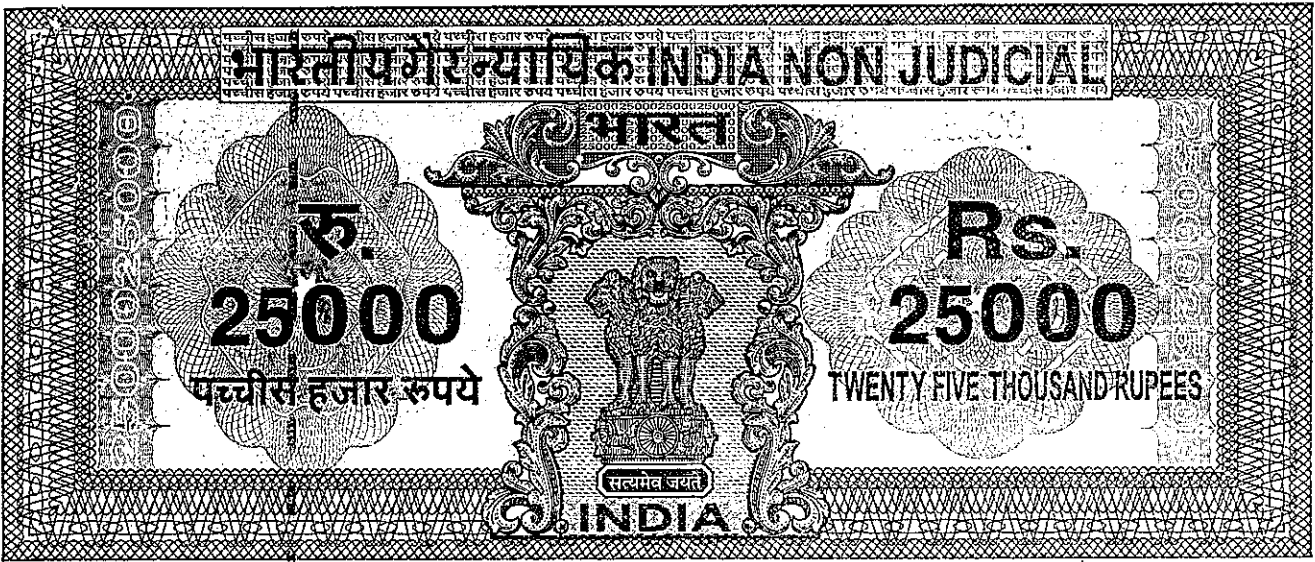
दस्तावेज हाजा के साथ आराजी मुवैया का नक्शा संलग्न है जिसमें विक्रयशुदा नम्बरान वरंग लाल से दर्शाये गये है। जो बैनामा का अंश भाग है। विक्रित आराजी मुवैया नजूल नगर पालिका, ग्राम सभा, वक्फ बोर्ड या अन्य किसी ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है। विक्रित आराजी

सुप्या सराफी



Ruchi





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

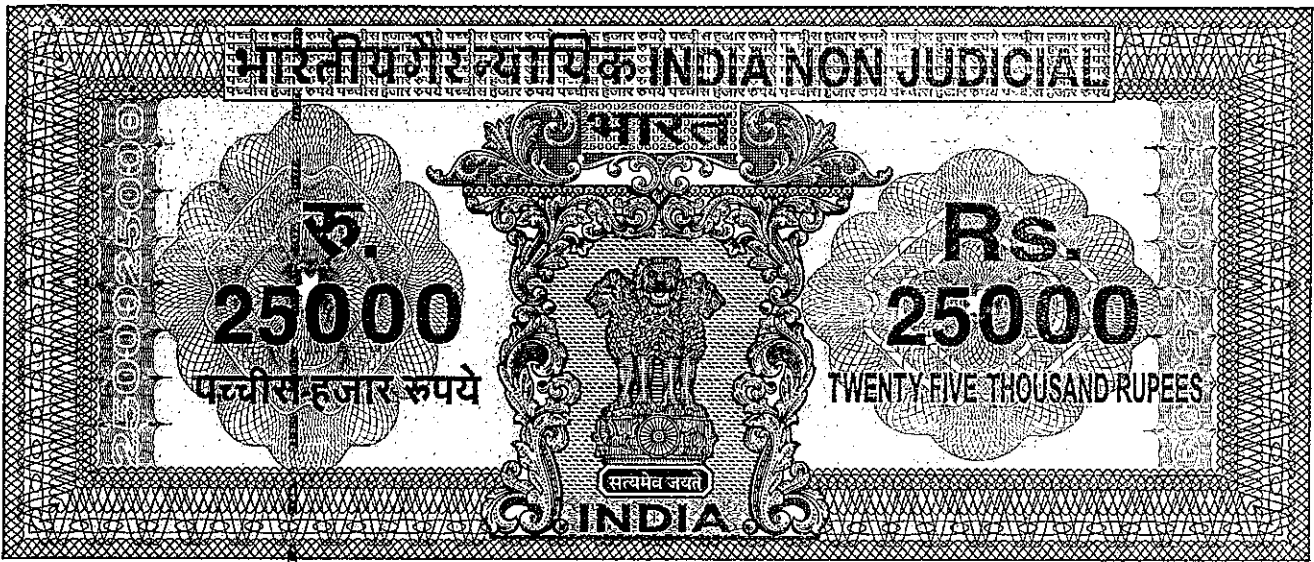
E 476583

(12)

औद्योगिक प्रयोजन की भूमि नहीं है विक्रित आराजी कृषि योग्य भूमि है। उक्त आराजी के वावत जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा 143 के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की घोषणा नहीं हुई। विक्रित आराजी विक्रेता ने जरिये दो कित्ता बैनामा के श्री अवध बिहारी से क्रय की थी जिसमें से प्रथम बैनामा दिनांक 11.02.2008 ई० को श्रीमान रजिस्ट्री श्रीमान सबरजिस्ट्रार

शुषमा सरावगी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

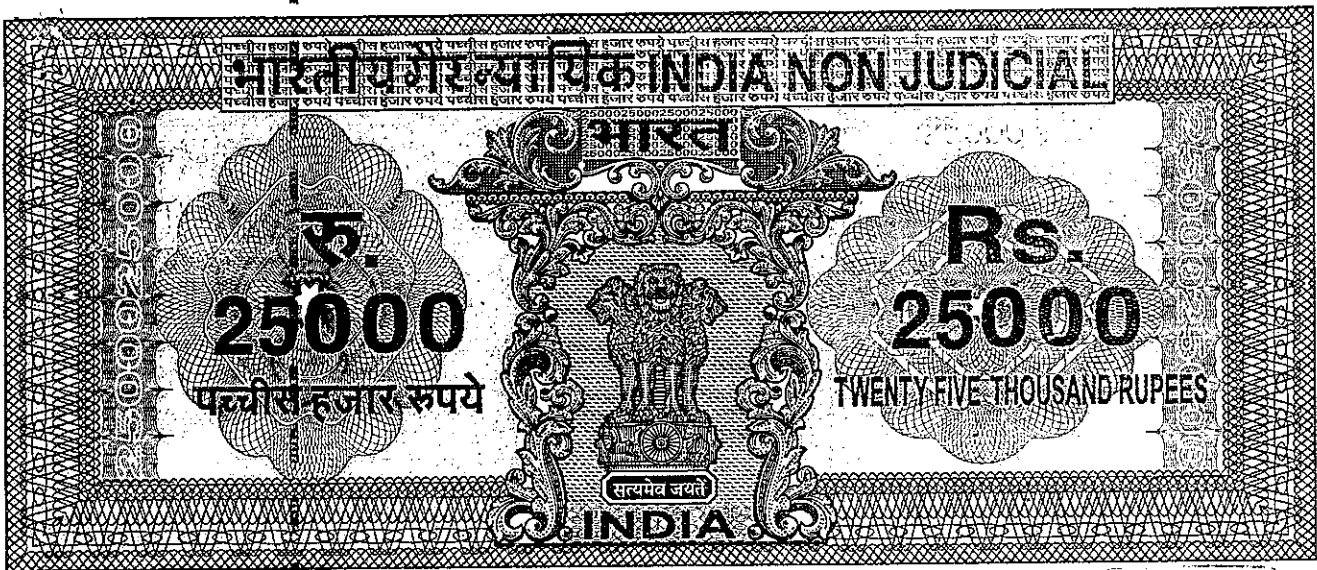
E 476584

(13)

कार्यालय झांसी में वही सं० १ जिल्द 3398 के पृष्ठ 325/372 पर क्रमांक 415 पर दर्ज है व
द्वितीय बैकामा दिनांक 26.05.2008 ई० को श्रीमान रजिस्ट्री श्रीमान सबरजिस्ट्रार कार्यालय
झांसी में वही सं० १ जिल्द 3473 के पृष्ठ 43/80 पर क्रमांक 2056 पर दिनांक 31.05.2008 ई०
दर्ज है

रुचि सरावगी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476585

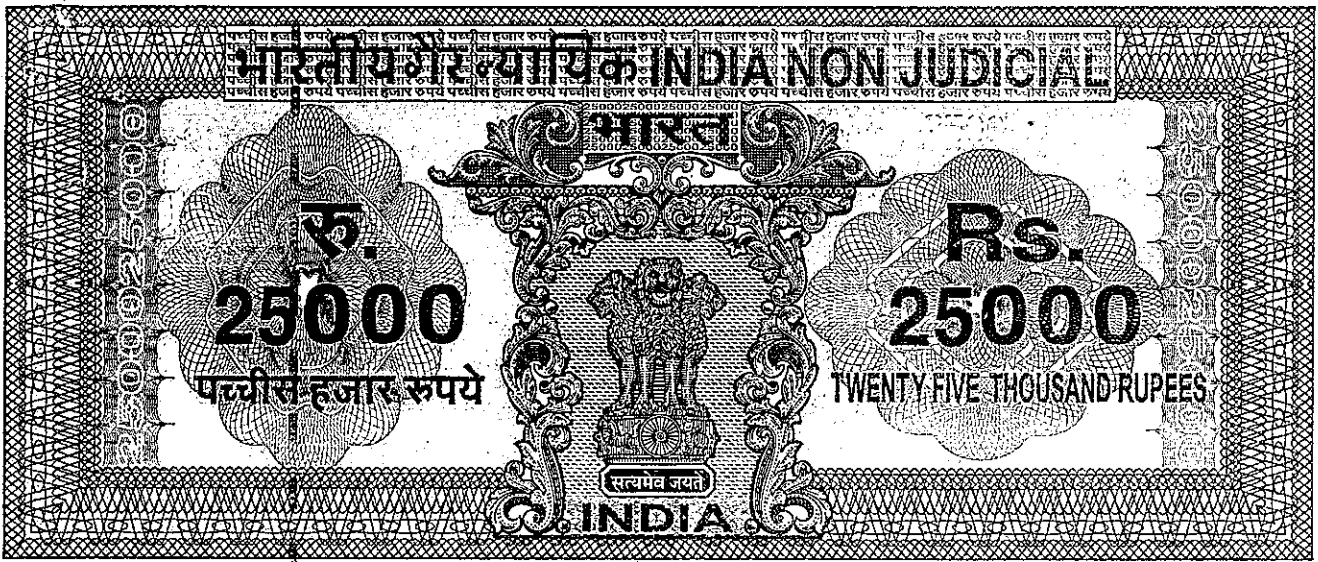
(14)

विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य नहीं हैं।

यह कि मैं विक्रेता उपरोक्त आराजी उपरोक्त की सम्पूर्ण रूप से मालिक काबिज व दखील हूँ जो कहीं वय हिवा रहिन आदि नहीं है यानि हर प्रकार के जुम्लावार किफालत

शुष्मा सरागी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

E 476586

(15)

से पाक साफ व वरी है चूँकि मुझ विक्रेता को घरु कार्य हेतु रुपयों की जरूरत है अतः मैं विक्रेता अपनी उपरोक्त आराजी वकीमत उपरोक्त में वहक क्रेता उपरोक्त को वय व फरोख्त.

रुचि सराफी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

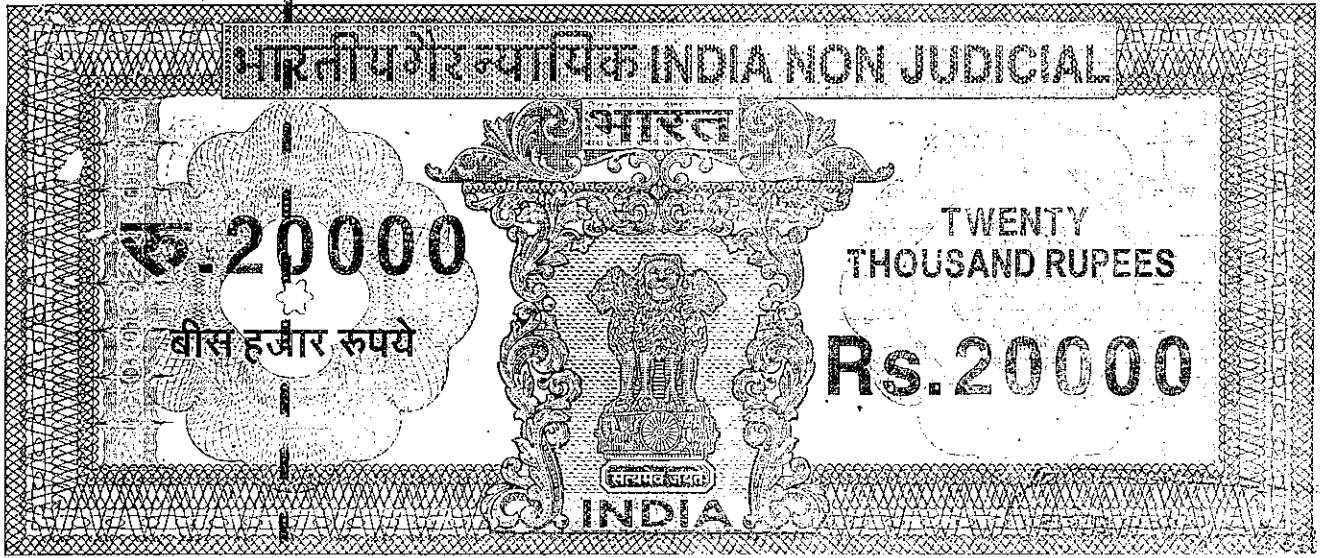
B 547048

(17)

से काशत करावें, कागजात मालिकान से मेरा नाम खारिज कराके अपना नाम दर्ज कागजात करावें वय हिवा रहिन करें गर्ज यह है कि जो जी चाहे सो करें। आज की तारीख से आराजी

रुबना सराफी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

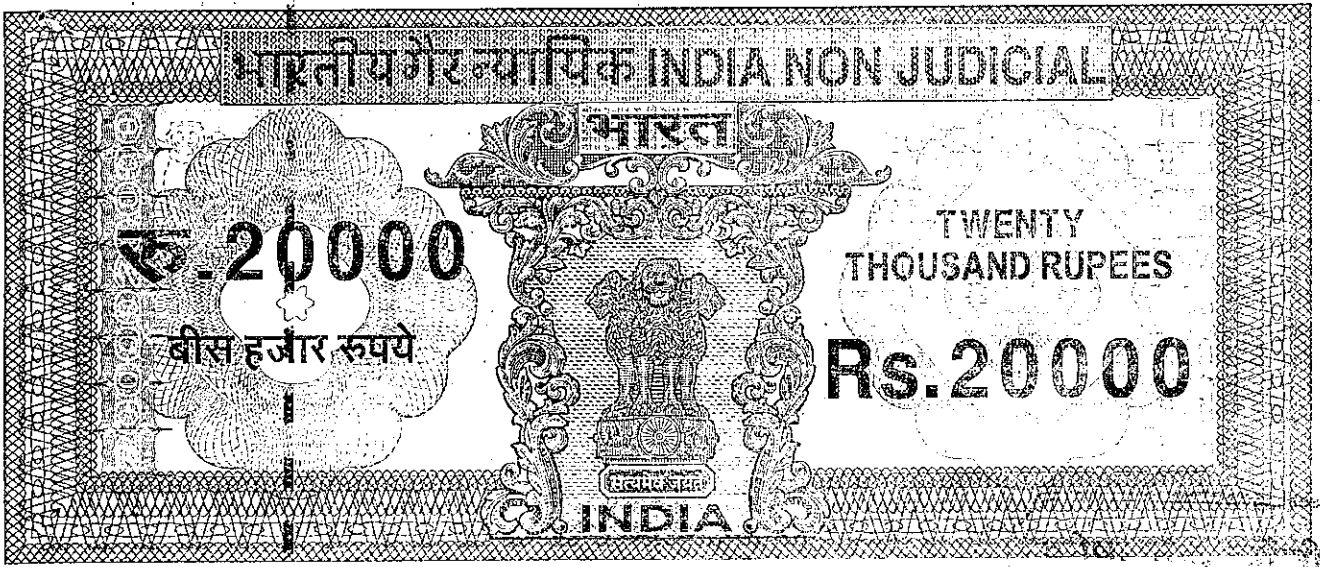
(18)

B 547049

मुवैया से मेरा या मेरे वारिसान का कोई वास्ता व सरोकार नहीं रहा न आयन्दा होगा। काश किसी कानूनी नुक्स की वजह से आराजी मुवैया कब्जे क्रेता से निकल जावे तो कुल कीमत

शुभया सरागी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

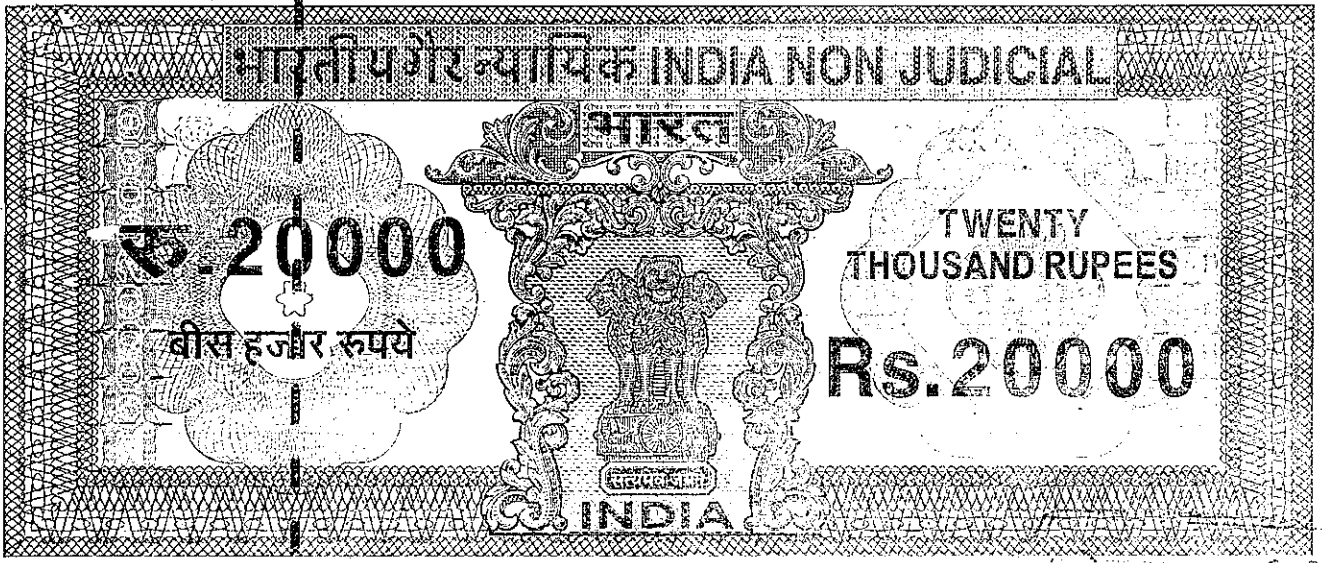
B 547050

(19)

मय हर्जा व खर्चा की देनदार व जिम्मेदार मैं विक्रेता रहूँगी। विक्रेता एवं क्रेता का कथन है कि प्रस्तुत विलेख में मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले किसी भी तथ्य को नहीं छुपाया गया

सुषमा शरावगी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 547051

(20)

है सभी तथ्य सही-सही एवं पूर्ण वर्णित किये गये हैं। यदि विक्रेता या क्रेता द्वारा तहरीर शुदा दस्तावेज में किन्ही तथ्यो को छुपाया जाता है या कोई कूट रचना करायी जाती है तो उक्त

रुबमा सराफी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

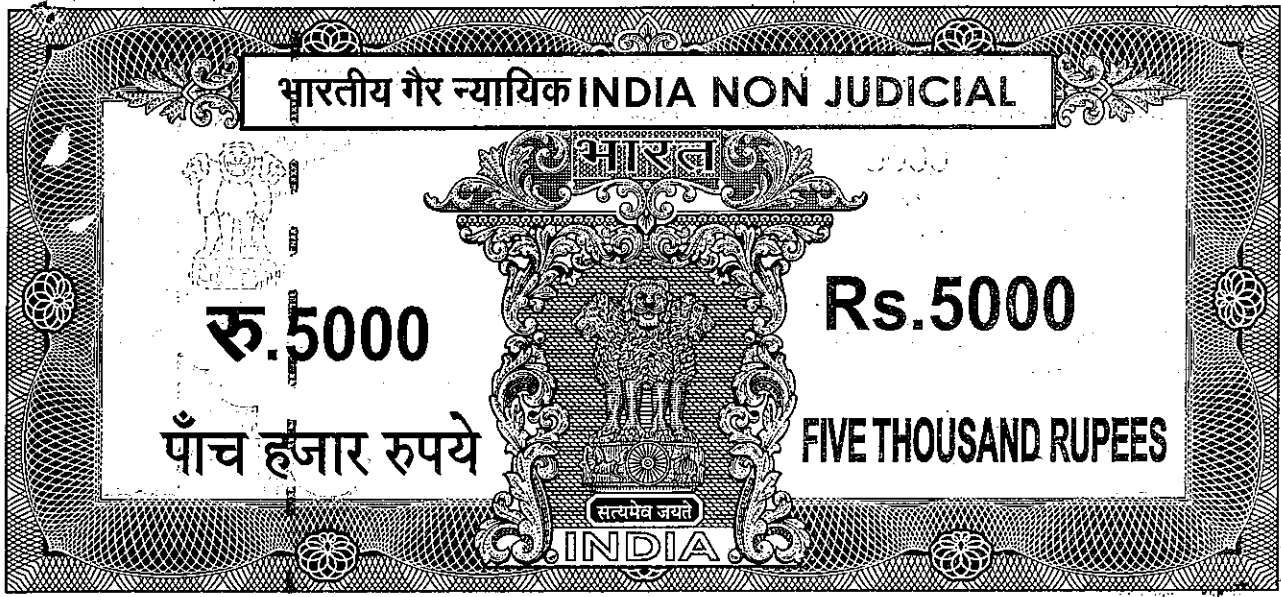
BG 411968

(21)

कृत्य का सम्पूर्ण दायित्व मुकदमों आदि जैसे फौजदारी, दीवानी, माल राजस्व का दायित्व विक्रेता का होगा एवं स्टाम्प एक्ट के वादों का दायित्व क्रेता का होगा, सबरजिस्ट्रार वकील

शुष्मा सराफा

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

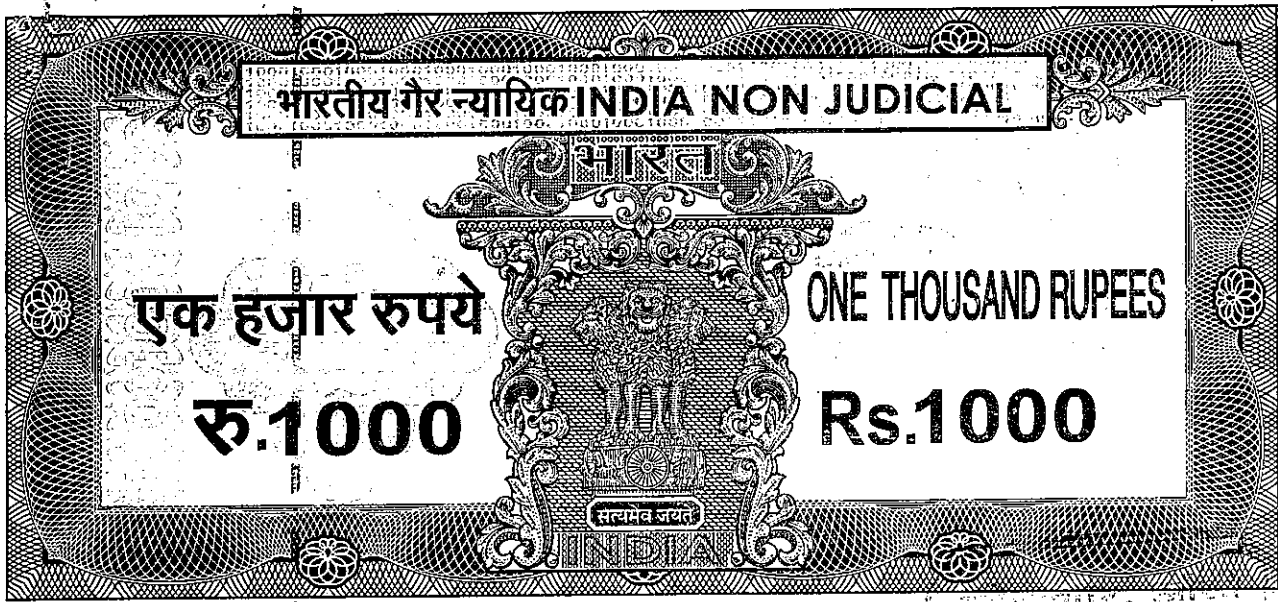
BG 411971

(22)

(एडवोकेट), दस्तावेज लेखक, टाईपकर्ता या जरिये वकील चित्र प्रमाणित के गवाह का नहीं होगा, कूट रचित दस्तावेज का सम्पूर्ण दायित्व विक्रेता व क्रेता का ही होगा। लिहाजा क्रेता व विक्रेता के बताये गये तथ्यों के आधार पर यह बैनामा तहरीर कर दिया ताकि सनद रहे वक्त जरूरत पर काम में आवें।

रुचिमा खरागी

Ruchi



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AN 733564

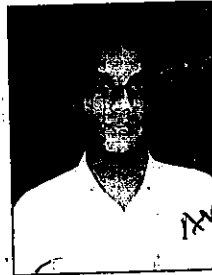
दिनांक :- 25.04.2016
प्रारूपकर्ता :- राजेन्द्र खन्ना, बसीका नवीस, तहसील, झांसी।
टाइपकर्ता :- अतुल यादव, तहसील झांसी

सुषमा सराणी

Ruchi

गवाह-1 श्री मयंक गर्ग पुत्र श्री जगदीश नारायण अग्रवाल निवासी-
75, कैवलरी रोड, कैण्ट, तहसील व जिला झांसी (जिनकी पहचान
आधार कार्ड सं0 6709 7745 6742 से की गई है)

गवाह-2 श्री अनूप यादव पुत्र श्री रामरतन यादव निवासी- 252,
तलैया, रानी महल, तहसील व जिला झांसी (जिनकी पहचान वोटर
कार्ड सं0 ZTU 0331439 से की गई है) मो0 नं0



नक्शा - नजरी

60

क्र. का नाम श्रीमती सुजमा सराणी

200 मीटर त्रिज्या के अन्तर्गत स्थित

क्र. का नाम शिवान्दा देवस दामा

समपत्ति के विवरण का मानचित्र

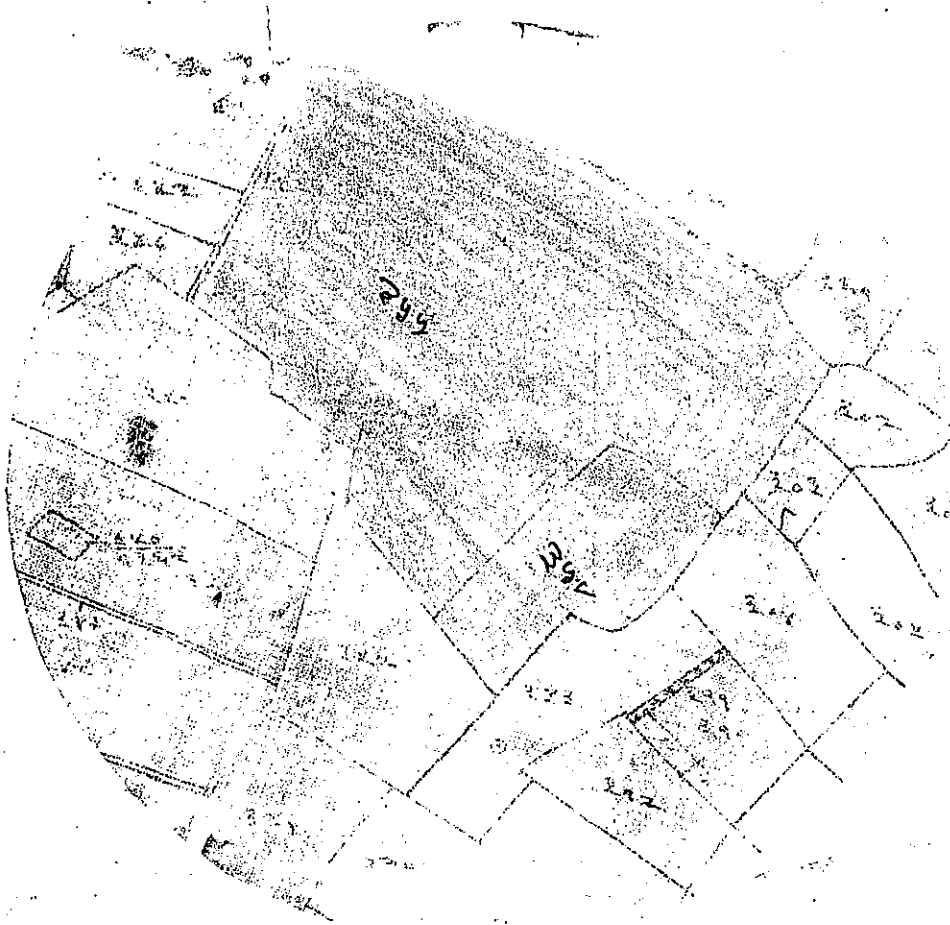
गो. डा. 202 व 203 सी. 100 सी. 100

200 मीटर त्रिज्या की परिधि (लाल रंग)

हसील, परगना व जिला झाँसी

से प्रदर्शित है।

भूमि नम्बर 358, 359



सुजमा सराणी

हस्ताक्षर विक्रेता

Ruchi

हस्ताक्षर क्रेता

25/4/2016